# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 55 / 2014

–: वादी :–

1. चुतराराम पुत्र शंकरराम जाति बावरी निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामदीन पुत्र शंकरराम जाति बावरी निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
2. तहसीलदार भोपालगढ़

**राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व नक्शा किश्तवार में तरमीम हेतु अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री श्यामलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01।
3. सरकारी पैरोकार, प्रतिवादी संख्या 02।

**–:: निर्णय ::–**

**दिनॉकः–19 / 03 / 2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं नक्शा किश्तवार में तरमीम बाबत् अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी भूमि पूर्व में सहखातेदारी की खसरा नं. 69, 293, 292 / 3 रकबा क्रमशः 4.17 बीघा, 10.09 बीघा, 09.12 बीघा आई हुई थी, जिसका पक्षकारान् के बीच में प्रतिवादी संख्या 02 के आदेश दिनांक 30.12.2010 की पालना में बंटवाड़ा हुआ। उक्त बंटवाडा आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 634 भरा गया, तथा अलग अलग खातों में मिन नम्बर लगाकर जमाबंदी खतौनी में इन्द्राज किया गया, वादपत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 634 व वर्तमान जमाबंदी नकले पेश है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नामान्तरकरण संख्या 634 की पालना में निम्नानुसार बंटवाडा होकर काबिज काश्त हुए हैः–

**वादी चुतराराम का खाताः–**

| **खसरा नं.** | **रकबा** | **दिशा** |
|---|---|---|
| **292 / 3** | **4.16 बीघा** | **उतरी हिस्सा** |
| **293** | **5.04 बीघा** | **बीच वाला मध्य हिस्सा** |
| **69** | **2.09 बीघा** | **उतरी हिस्सा** |

**प्रतिवादी रामदीन का खाताः–**

| **खसरा नं.** | **रकबा** | **दिशा** |
|---|---|---|
| **292 / 3 / 1** | **4.16 बीघा** | **दक्षिणी हिस्सा** |
| **293 / 1** | **5.05 बीघा** | **उतरी व दक्षिणी हिस्सा** |
| **69 / 1** | **2.08 बीघा** | **दक्षिणी हिस्सा** |

खसरा नं. 293 में वादी की दो रहवासीय ढाणि[illegible] हुई है, तथा प्रतिवादी की एक रहवासीय ढाणी बनी हुई है। मौके पर [illegible] नक्शा वादपत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसे इस वादपत्र का अंग मा[illegible]। यह है कि पक्षकारान् की भूमि का बंटवाडे अनुसार अलग अलग खातों में इन्द्राज तो हो गई, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से नक्शा किश्तवार में तरमीम नही किया गया, इसलिए वादपत्र में तथा [illegible] नक्शे में बताये अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

पक्षकारान् का भौतिक रूप से कब्जा काश्त व रहवासीय मकानों को तथा खसरा नं. 293 के पूर्वी दिशा में चल रहे डामर रोड़ को मध्य नजर रखकर नक्शा किश्तवार में तरमीम करने हेतु यह वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 23.07.2014 को ग्राम कुम्भारा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की मूल खसरा नं. 293 में आई रहवासीय ढाणियां से बाहर निकलने से घेराबंदी लगाकर रोक दिया व सभी परिवार के सदस्यों ने धारदार हथियार लेकर वादी के परिवार को घेर कर मारपीट करने की धमकी दी, तथा रहवासीय ढाणियों पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तथा आयन्दा वादी व वादी के बंट व हिस्से की भूमि पर विधिविरूद्ध शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने की धमकी दी, इसलिए यह वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर वाद पेश किया जिसमें बताया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 बंटवाडा के समय से व बंटवाडा अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी को नजरीये नक्शा की कॉपी आज दिन तक वादी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई। वादी लोगों के सिखावे में आकर बिना सोचे समझे झूठा वाद पेश कर दिया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 बंटवाडा के अनुसार काबिज काश्त है। वादी का खेत प्रतिवादी संख्या 01 के उत्तर दिशा में है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का खेत वादी के दक्षिण दिशा में है तथा दोनों पक्षकार बंटवाडा के अनुसार काबिज काश्त हे तथा दोनों खेत के बीच प्रतिवादी की माठ है जिसको वादी आये दिन खुर्द बुर्द कर रहे है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी को नजरीये नक्शा की कॉपी उपलब्ध नही करवायी गयी। वादी का वाद बिना किसी वादकारण व आधार का होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी व प्रतिवादी के खेतों के बीच प्रतिवादी के खेत की माठ आई हुई है तथा वादी आये दिन प्रतिवादी के खेत ग्राम कुम्भारा के खसरा नं. 293/1 व खसरा नं. 292/3/1 की माठ को खुर्द बुर्द कर रहे है तथा प्रतिवादी को उसके खेत से बेदखल करने की धमकीयां दे रहा है तथा यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी झगडालू प्रवृति के व बड़े परिवार का आदमी है। अतः वादी का वाद भारी हर्जा खर्चा के साथ खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पेश काउंटर वाद में बताया गया कि ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 293/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नं. 292/3/1 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है तथा प्रतिवादी के खेत के उत्तर दिशा में वादी का खेत खसरा नं. 293 व 292/3 आया हुवा है। प्रतिवादी के खेत के उत्तर दिशा की माठ प्रतिवादी के खेत में व प्रतिवादी की है जिसको आये दिन खुर्द बुर्द करते है तब प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.10.2016 को अंतिम बार मना किया तो वादी ने दोनों खेतों के बीच की माठ तोड़ने व प्रतिवादी को बेदखल करने को कहा तब गांव के मौजिज व्यक्तियो से समझाईश किया तब वादी माठ को खुर्द बुर्द करने से रूका तथा फिर वादी ने प्रतिवादी को बेदखल करने की धमकियां दी तथा प्रतिवादी को जान से मारने की भी धमकियां दी तथा प्रतिवादी ने पुलिस थाना भोपालगढ़ में सूचना दी। अतः वादी के खेत ग्राम कुम्भारा के व प्रतिवादी के खेत ग्राम कुम्भारा के खसरा नं. 293/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नं. 292/3/1 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे तथा दोनों खेतों के उत्तर दिशा की माठ को वादी खुर्द बुर्द नही करे तथा पाबंद किया जाने का आदेश फरमावे।

वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश जवाबदावा मय काउंटर क्लेम का जवाब पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रतिवादी ने न्यायालय को गुमराह करने के लिए भ्रमित भावना से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सत्यता को छिपा कर गलत तथ्यों के आधार पर जवाबदावा पेश किया है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जावे। प्रतिवादी ने अपने काउंटर वाद में ग्राम कुम्भारा के खसरा नं. 293/1, 292/3/1, 293, 293/3 के पडोस, दिशा मौका स्थिति के परे जाकर लिखी गयी है जबकि वादी के वादपत्र में वादी द्वारा वादी व प्रतिवादी का बंटवाडा अलग-अलग खसरा नं., रकबा व दिशा का खुलासा करते हुए लिखा गया है। प्रतिवादी ने माठ कुचरने का झूठा आरोप लगाया है तथा तथाकथित बनावटी दिनांक 11.10.2016 लिखी गयी है। प्रतिवादी का काउंटर [illegible] के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का कानूनन चल नही सकता है, इसी प्रकार प्रतिवादी का काउंटर [illegible] है एवं माननीय न्यायालय से वास्तविकता को छिपा कर मनगंढत बनावटी गलत तथ्यों के आधार पर [illegible] किया है, प्रतिवादी माननीय न्यायालय में साफ हाथों से नही आया है, प्रतिवादी का काउंटर [illegible] खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से सरकारी पैरोकार द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि ग्राम कुम्भारा में स्थित भूमि खसरा नं. 69, 293, 292/3 कुल खसरे 03 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़
सत्यमेव जयते
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

24.18 बीघा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 30.12.2010 वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वादी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की तरमीम करवाना चाहता है, साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाना चाहता है। यह कि आपसी सहमति से किये गये बंटवाडे अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की तरमीम व आपस में निषेधाज्ञा चाहते है तो न्यायोचित एवं लाजमी है। अतः आपसी सहमति से किये गये बंटवाडे को मद्देनजर रखते हुए तरमीम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित है।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी–

**तनकी संख्या 01** – आया वादी वादग्रस्त आराजियात खसरा नं. 69, 293, 292/2 ग्राम कुम्भारा के बंटवाडा नामान्तरकरण संख्या 634 के अनुसार भूमि का नक्शा किश्तवार में तरमीम करवाने का अधिकारी है ?

जिम्मे– वादी

**तनकी संख्या 02** – आया वादी वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद करवाने का कानूनी अधिकारी है ?

जिम्मे– वादी

वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया गया तथा साक्ष्य वादी जिरह हेतु अनेकानेक अवसर देने के पश्चात् भी साक्ष्य वादी अनुपस्थित रहने से साक्ष्य वादी बंद की गयी। प्रतिवादी वकील ने नोटेड किया कि साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत करना नही चाहते। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में कायम की गयी तनकीयात का तनकीवार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

**1. तनकी संख्या 01** :– इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी पर रखा गया। वादी की ओर से वाद में आपसी सहमति से हुए बंटवाडा व भरे गये नामान्तरकरण संख्या 634 के अनुसार नक्शा किश्तवार में तरमीम किये जाने की इस्तदुआ की। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में कथन किया कि बंटवाडे के समय से बंटवाडा अनुसार मौके पर काबिज है। इस प्रकार इस तनकी में दोनों के कथन समान है। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णीत की जाती है।

**2. तनकी संख्या 02** :– इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी पर रखा गया। वादी खसरा नं. 292/3, 293, 69 का एकल अभिलिखित खातेदार है। जबकि प्रतिवादी खसरा नं. 292/3/1, 293/1 व 69/1 का खातेदार है। इस प्रकार दोनों अलग–अलग भूमि के खातेदार है तथा बंटवाडा अनुसार कब्जा काश्त है। चूंकि वादी अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 292/3, 293 व 69 का अभिलिखित खातेदार है। इसलिए उक्त भूमि के संबंध में वादी विरूद्ध प्रतिवादी के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी के निर्णीत की जाती है।

उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा व काउंटर क्लेम का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं वाद में कायम की गयी तनकीयात का तनकीवार विवेचन करने के बाद ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ में स्थित वादग्रस्त पुश्तैनी व पूर्व में सहखातेदारी की भूमि खसरा नं. 69, 293, 292/3 कि दिनांक 30.12.2010 को हुए बंटवाडा व भरे गये नामान्तरकरण संख्या 634 के अनुसार नए बने खसरा नं. 292/3, 293, 69 [illegible] खसरा नं. 292/3/1, 293/1, 69/1 प्रतिवादी के पक्ष में आए। उक्त बंटवाडा में द[illegible] के अनुसार वादी व प्रतिवादी मौके पर काबिज है। अतः दिनांक 30.12.2010 को हुए बंटवाडे के अनुसार [illegible] आराजी की तरमीम किया जाना तथा खसरा संख्या 292/3, 293 व 69 के संबंध में प्र[illegible] को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

**–:आदेश:–**

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आलोक में राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 69, 293, 292/3 की भूमि का दिनांक 30.12.2010 को हुए बंटवाडा के अनुसार नक्शा किश्तवार में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी के खसरा संख्या 292/3, 293 व 69 के संबंध में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक **19/03/2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:10 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री जवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

| –: वादी :– | बनाम | प्रतिवादीगण :– |
|---|---|---|
| 1. चुतराराम पुत्र शंकरराम जाति बावरी निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर | | 1. रामदीन पुत्र शंकरराम जाति बावरी निवासी कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर<br>2. तहसीलदार भोपालगढ़ |

**राजस्व वाद बाबत् स्थाई**
**निषेधाज्ञा व नक्शा किश्तवार में तरमीम हेतु**
**अन्तर्गत धारा 188**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मु0न0 :रा0वा0 स0: 55/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री श्यामलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कुम्भारा तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 69, 293, 292/3 की भूमि का दिनांक 30.12.2010 को हुए बंटवाडा के अनुसार नक्शा किश्तवार में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी के खसरा संख्या 292/3, 293 व 69 के संबंध में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **19/03/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)
जिला–जोधपुर (राज.)

| मुद्धई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः– | | | मिजानः– | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:10 IST
Reason: SelfAttested